सेवा में, ...यल मण्डल मीरजापुर।

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र
प्रीति विहार नई दिल्ली।

पत्रांक: MTO-1/ 2129-2136 /2009-10 दिनांक 24-8-09

विषय:- वर्धमान पब्लिक स्कूल मुसफ्फरगंज मीरजापुर को सी0बी0एस0ई0 बोर्ड नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के आदेश सं0 1916/15-7-09-1(299)/2009 दिनांक 14-7-2009 द्वारा प्रदेश स्थित माध्यमिक शिक्षण संस्थाओ को सी0बी0एस0ई0 तथा आई0सी0एस0ई0 बोर्ड द्वारा संचालित किये जाने के पूर्व संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार के स्थान पर संबंधित मंडल के मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिये जाने का निर्देश दिया गया है। उ0प्र0 शासन के उक्त आदेश के अनुसार जनपद मीरजापुर में स्थित संस्था, वर्धमान पब्लिक स्कूल, मुसफ्फरगंज, के आवेदन पत्र पर मंडल स्तर पर गठित समिति द्वारा विचार किया गया। विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में समिति को निम्नलिखित प्रतिबंधो के अधीन आपत्ति नही है-

1- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जाय।
2- विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चो के लिये सुरक्षित रहेगें और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयो में विभिन्न कक्षाओ के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नही लिया जायेगा।
4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नही की जायेगी। और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली। कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है जो उस परीक्षा परिषदो से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।
5- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियो को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के कर्मचारियो को अनुमन्य वेतनमानो तथा अन्य भत्ते से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगें।

क्रमशः......2/

Scanned with CamScanner

6- कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयो के कर्मचारियो को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।

7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे, संस्था उनका पालन करेगी।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित पंजिकाओं में रखा जायेगा।

9- उक्त शर्तो में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नही किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धो का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधो का पालन नही किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

{उपेन्द्र कुमार}
सचिव
मंडलीय समिति एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक
विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर।

पृ०सं०: मा०-1/ /2009-10 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- सचिव, माध्यमिक शिक्षा,उ०प्र० शासन लखनऊ।
2- शिक्षा निदेशक{मा०} उ०प्र० लखनऊ।
3- आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर।
4- जिलाधिकारी, मीरजापुर।
5- जिला विद्यालय निरीक्षक, मीरजापुर।
6- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र० लखनऊ।
7- प्रबन्धक, वर्द्धमान पब्लिक स्कूल, मुसफ्फरगंज मीरजापुर।
8- गार्ड फाइल

{उपेन्द्र कुमार}
सचिव
मंडलीय समिति एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक
विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर।

Scanned with CamScanner